भारत संघ व अन्य
बनाम
गंडीबा बेहरा

(सिविल अपील संख्या 8497 / 2019)

08 नवम्बर, 2019

(रंजन गोगोई, मुख्य न्यायमूर्ति, दीपक गुप्ता एवं अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्तिगण)

सेवा कानून

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन)नियम, 1972। उक्त विभाग में नियमित पदों पर चयनित होने के बाद डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस)के रूप में कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पेंशन योग्यता सेवा के वर्षों की गणना–उनकी योग्यता निर्धारित करने के लिए गणना पेंशन की पात्रता के लिए सेवा–उत्तरदाताओं द्वारा जीडीएस या अन्य अतिरिक्त–विभागीय एजेंटों के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन अनुदान के लिए डाक विभाग के तहत नियमित पदों पर उनकी योग्यता सेवाओं की गणना के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है। तथ्यों पर, उत्तरदाताओं को पेंशन के लिए पात्र नहीं पाया गया है। चूंकि उनकी सेवाएं दस वर्ष की अर्हता अवधि से कम हो गईं–कर्मचारी सहानुभूतिपूर्ण विचार के पात्र हैं। यदि उन्हें उनुचित कठिनाई होती है तो पेंशन अनुदान के लिए ई–अधिकारी 1972 के तहत अर्हक सेवा की अनिवार्य आवश्यकता को शिथिल करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उनके मामलों पर विचार करें। नियम– यदि प्रतिवादी को पेंशन आदेश जारी किया गया है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा–अन्य उत्तरदाताओं के संबंध में, जिन्हें पेंशन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, विभाग 2011 पर विचार करेगा।

अपीलों को अनुमति देते हुए न्यायालय द्वारा

धारितः– 1.1 उत्तरदाताओं को कार्य प्रभारित कर्मचारी नहीं माना जा सकता। कर्मचारियों की निर्धारित श्रेणी अर्थात जो कार्य प्रभारित कर्मचारी हैं,

को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और उनके वेतन और भत्ते ऐसे कार्य के लिए प्रभार्य होते हैं। लेकिन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में उत्तरदाताओं का काम अंशकालिक प्रकृति का था। उन्हें स्वयं को अन्य व्यवसायों में संलग्न करने की स्वतंत्रता थी, जिसमें वे कार्य करते थे और स्थायित्व का तत्व रखते थे। चूंकि वे जीडीएस के रूप में कार्यरत थे जोकि सिविल पद था इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि उनकी पूर्णकालिक विशेषता वाली सेवा को जीडीएस की क्षमता में प्रदान की गई उनकी सेवा का विस्तार माना जाए। पश्चातवर्ती सेवा विभिन्न रोजगार विशेषताओं वाले विभिन्न सेवा नियमों द्वारा निर्देशित थी। चयन प्रक्रिया आयोजित करने में अधिकारियों की ओर से देरी के कारण किसी कर्मचारी का नियमित पद पर चयन पहले नहीं किया जा सकता है। संबंधित उच्च न्यायालयों, जिनके निर्णय इस न्यायालय के समक्ष अपील के अधीन हैं, ने समान रूप से ग्रामीण डाक सेवकों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिन्हें बाद में डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों के रूप में चुना गया था। मूल आवेदकों को पेंशन के लिए पात्र नहीं पाया गया, क्योंकि उनकी सेवाएं अर्हता अवधि से कम थी। अपील का विशय बनने वाले निर्णयों के संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी विशेष पद पर किसी कर्मचारी का सेवा कार्यकाल किसी विशिष्ट विधिक प्रावधान के अभाव में उस तरीके से कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

1.2 उत्तरदाताओं की योग्यता सेवा आवश्यकता में अंतर को भरने के लिए जीडीएस के रूप में बहाल की गई सेवा अवधि की गणना को निर्दिष्ट करने वाला कोई विशिष्ट नियम या प्रशासनिक प्रपत्र भी नहीं है। एकमात्र परिपत्र जिस पर उत्तरदाताओं ने बल दिया वह 1991 का परिपत्र था जिसपर भारत संघ और अन्य बनाम निबंधक और अन्य के मामले में विचार किया गया था। चूंकि जीडीएस का पद पूर्णकालिक रोजगार नहीं है इसलिए निर्धारित प्रपत्र के लाभ उत्तरदाताओं को सहायता नहीं दे सकते।

1.3 यह उत्तरदाताओं का मामला था कि यदि उन्होंने नियमित रोजगार में नौ वर्ष और तीन महीने से अधिक की सेवा की है तो 1972 के नियमों के खंड 49(3) के अधीन अर्हक सेवा के प्रयोजन के लिए अतिरिक्त अवधि की गणना करने के हकदार होंगे। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक वर्श की अवधि के भीतर कर्मचारी ने छह माह से अधिक की सेवा की है तो कुल रोजगार अवधि की गणना दो किश्तों में एक आधे वर्ष की अवधि के दोगुने के रूप में की जानी चाहिए और एक वर्ष को सेवा में जोड़ा जाना चाहिए। यद्यपि उक्त नियमों के पढ़ने पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती। नियम के अनुसार एक वर्ष के अंतराल में तीन महीने से अधिक की सेवा के मामले में एकमुश्त लाभ पर विचार किया जाता है। (पैरा–17) (1151–बी–सी)

1.4 1972 के नियमों का नियम 88 संबंधित मंत्रालय या विभाग को किसी विशेष मामले में अनावश्यक कठिनाई को रोकने के लिए किसी भी नियम के संचालन में ढील देने का अधिकार देता है। यद्यपि, कथित नियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के निर्णय लेने के क्षेत्र में आता है। अपीलकर्ता का मामला यह है कि यदि अर्हक सेवा में मामूली कमी के प्रत्येक मामले में ढील देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यह अंतहीन अभ्यास होगा। (पारा 18(1151–डी–जी)

1.5 अर्हक सेवा आवष्यकता से संबंधित नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं द्वारा जीडीएस या अन्य के द्वारा प्रदत्त की गई सेवाओं को पेंशन प्रदान करने के प्रश्न पर डाक विभाग के तहत नियमित पदों पर उनकी अर्हक सेवाओं की गणना के लिए कारक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन यह पाया गया है कि कई उत्तरदाता अपने नियमित सेवा कार्यालय में मामूली कर्मी के कारण पेंशन से वांछित है। पेंशन प्रदान करने के लिए इस पर हानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लेकिन यह न्यायालय किसी भी कानूनी सिद्धान्त पर अपनी शक्ति या क्षेत्राधिकार का पता नहीं लगा सकता है जो जीडीएस या इसके रूपान्तरों के रूप में कार्यावधि को उनके सेवा कार्यकाल में अपना करके कर्मी को पूरा करने की अनुमति दे सकता है। इसके मद्देनजर अपील के तहत फैसले को कायम नहीं रखा जा सकता है। कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर जीडीएस की क्षमता में उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की किसी भी अवधि को योग्यता सेवा की अवधि को पूरा करने के उद्देश्य से डाक विभाग में उनके नियमित कार्यकाल में जोड़ा जा सके। (पारा 19, 20)(1151–जी–एचः 1152–ए–डी).

1.6 अधिकारियों को 1972 के नियमों के तहत अर्हक सेवा की अनिवार्य आवश्यकता में छूट देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने मामलों पर विचार करना चाहिए, यदि उन्हें इनमें से किसी भी मामले में नियम 88 में निहित शर्तें पूर्ण लगती है। अपीलार्थियों के रूत्व को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह अभ्यास लम्बा होगा नियम 88 का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उक्त नियम संख्या विशिष्ट नहीं है और यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई होती है तो उनके सभी मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि केन्द्र सरकार या डाक विभाग ने पहले ही किसी उत्तरदाता को पेंशन के लिए कोई आदेश जारी कर दिया है, तो ऐसी पेंशन को उस व्यवस्था का पालन करते हुए व्यवधानित नहीं किया जाना चाहिए, जिसे इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य बनाव निबंधक और अन्य के मामले में अपनाने का निर्देश दिया गया था। अन्य उत्तरदाताओं के संबंध में जन्हें पेंशन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, संबंधित मंत्रालय इस बात पर विचार करेगा कि क्या उनके मामलों में 1972 के नियमों

के नियम 88 के अनुसार न्यूनतम योग्यता से नियम में छूट दी जा सकती है। (पारा 21)(152–ई–एफ, 1153–ए)

भारत संघ एवं अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य, **सिविल अपील नं0–13675–13676/2015–पर भरोसा किया गया**
डीएस नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ **(1983)1 एससीसी305:(1983) एससीआर 165–प्रतिष्ठित**
पोस्टऑफिस अधीक्षक एवं अन्य बनाम पीके राजम्मा **(1977) 3 एससीसी 94:(1977) 3 एससीआर 678, चेत राम बनाम जीत सिंह (2008)14 एससीआर 1124,** हबीब खान बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य **(2018)1 एस0एल0आर 724(एससी)–अप्रयोज्य धारित**
पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड व अन्य बनाम नकारा सिंह एवं अन्य **(2010) 4 एससीसी 317: (2010) 3 एससीआर 27,** भारत संघ व अन्य बनाम दत्तप्पा डब्ल्यू.पी. नं0 81699/2011–**संदर्भित**

वाद विधि संदर्भ

(1977) 3 एससीआर 678	अप्रयोज्य धारित	पैरा 15
(2008) 14 एससीआर 1124	अप्रयोज्य धारित	पैरा 15
(1983) 2 एससीआर 165	प्रतिष्ठित	पैरा 15
(2018)1 एसएलआर 724(एससी)	अप्रयोज्य धारित	पैरा 16
(2010) 3 एससीआर 27	संदर्भित	पैरा 15

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या–8497/2019
2011 की रिट याचिका (सी) संख्या 28905 में कटक स्थित उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 03.01.2014 से।

साथ

सिविल अपील संख्या 8979, 9886/2014, 8674/2015, 2825, 5008, 8979, 40355, 10801/2016, 1580–1581, 109–110, 9518–9520/2017, 8498, 8499, 8500, 8501/2019, एस.एल.पी.(सी) संख्या 16615/2018, 3392/2019, एस.एल.पी.(सी). सीसी संख्या–20557–20558/2015, एस.एल.पी.(सी) डी संख्या 13464/2018, एस.एल.पी.(सी) डी संख्या 18007/2019.

ए.एन.एस. नाडकर्णी, एएसजी, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ वकील, शंकर दिवाते, मेरू सागर सामंत्रे, जय देहादराय, श्रमती अनिल कटियार, षेखर बलवाड़ा, संजय कुमार विसेन, श्रीमती के. सारदा देवी, आर. विजय नंदन रेड्डी, अमरजीत सिंह धीमान, एस.आर. सेतिया, जॉयदीप मुखर्जी, सुश्री सीमा कश्यप, पी.आर. कोविलन, श्रीमती गीता

कोविलन, सुश्री लक्ष्मी के.जी., विजय प्रकाश, आबिद अली बीरन पी, एस.के. सिन्हा, जमेम्स पी. थॉमस, बी.के. बेरेवा, मो. अपजल अंसारी, मुकेश के.वर्मा, विवेक शर्मा, हर्ष सिंघल, अनीस अहमद खान, वी.एन. रघुपति, मनेदर पाल गुप्ता, अजहर कयूम, के.वी. जगदीश्वरन, सुश्री जी. इंदिरा, सुश्री रंगोली सेठ, अश्विनी कुमार, बेनो बेनसिगर, पारिजात किशोर, पुनीत कुमार सक्सेना, कमलाकांत त्रिपाठी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, वेदांत सिंह, मिशेल गोम्स, निकिलेश रामचन्द्रन, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया
न्यायमूर्ति, अनिरूद्ध बोस

1. अभिलेख से यह प्रकट होता है कि एस0एल0पी0 (सी) डायरी नं0 13464/2018, एस0एल0पी0 (सी) 16615/2018, एस0एल0पी0 (सी) नं0 3392/2019 और एस0एल0पी0 (सी) डायरी नं0 18007/2019 में तामिला पूर्ण नहीं है। इसलिए इन मामलों में अपीलों के लिए अलग–अलग निर्देश दिए जाते हैं। तामिला पूर्ण होने के पश्चात इन मामलों को उपयुक्त बेंच के समक्ष रखा जाए।

2. एस0एल0पी0 (सी) सी.सी. नं0 20557–20558/2015 और एस0एल0पी0 (सी) नं0 32881/2018 में बिलम्ब माफ किया गया और अनुमति प्रदान की जाती है।

3. ये सभी अपीलें केन्द्रीय न्यायाधिरण की विभिन्न पीठों के निर्णय और उसके बाद के कानून के एक सामान्य प्रश्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों से इस न्यायालय तक हैं। इन अपीलों में यह विवाद है कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों (जी0डी0एस0)के रूप में नियुक्त कर्मचारियों द्वारा उनके चयन के बाद उनकी पेंशन की योग्यता सेवा की गणना उक्त विभाग में नियमित पदों पर चुने जाने के बाद उनकी पेंशन की योग्यता सेवा की गणना के उद्देश्य से की जानी चाहिए या नहीं। संबंधित उच्च न्यायालयों जिनके निर्णय हमारे समक्ष अपील के अधीन हैं, ने एक मत से ग्रामीण डाक सेवकों के पक्ष में धारित किया है जो बाद में डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों के रूप में चयनित हुए। मूल आवेदक पेंशन के पात्र नहीं पाए गए, क्योंकि उनकी सेवाएं योग्यता अवधि से कम थी। पेंशन का हकदार होने के लिए उक्त विभाग में नियमित रोजगार में न्यूनतम सेवा अवधि जो केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम–1972 में निहित है और यह 10 साल है। हम अब से इन नियमों को 1972 के नियमों के रूप में संदर्भित करेंगे। इन सभी अपीलों में नियमित पदों

पर उत्तरदाताओं का सेवाकाल दस वर्षों की उक्त अवधि से मामूली रूप से कम हो गई। 1972 के नियमों के खंड 49 (1)में कहा गया है–

''दस साल की योग्यता सेवा पूरी करने से पहले इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारी के मामले में, सेवा उपादान की राषि की गणना प्रत्येक छः साल की योग्यता सेवा पूरी करने के लिए आधे महीने के परिलब्धि की दर से प्रत्येक छः माह की अवधि के लिए अर्हक सेवा की जाएगी।

4. ग्रमीण डाक सेवकों की सेवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए अलग–अलग नियम बनाए गए हैं जो डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंट के रूप में भी निर्दिष्ट हैं। वर्तमान नियम जो हमारे सामने उद्धृत किए गए हैं उनका शीर्षक ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और नियुक्ति) नियम, 2011 (नियम 2011) है। पी0 एंड टी0 अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण और सेवा) नियम, 1964 था जो ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और रोजगार) नियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले इसी क्षेत्र को आच्छादित करते थे। इन नियमों ने अंततः 2011 के नियमों को रास्ता प्रदान किया। जी0डी0एस0 की पहचान समय के साथ विभिन्न संक्षिप्त पदनामों में की गई है, जो संभवतः कार्य की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसमें वे लगे हुए थे। ये ई0डी0एम0सी0, ई0डी0 पैकर, विभागीय धावक, ई0डी0डी0ए0 और जी0डी0एस0 हैं। इनमें से अंतिम पदनाम ग्रामीण डाक सेवकों का संक्षिप्त रूप है जिस रूप में वे वर्तमान में जाने जाते हैं।

5. हमारे समक्ष जिस प्रमुख मामले पर बहस की गई है वह गंडीबा बेहरा द्वारा संस्थित एक आवेदन जो केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण, कटक पीठ के समक्ष ओ0ए0 नं0 609/2010 के रूप में पंजीकृत हुआ था, से उत्पन्न होता है। उक्त आवेदक का चयन 01 अप्रैल, 1968 को उड़ीसा राज्य के बालासोर मंडल में जी0डी0एस0 के रूप में एक नियमित प्रक्रिया के द्वारा किया गया था। उन्होंने 25 मई, 1999 तक उस क्षमता में काम करना जारी रखा, जिस तरीख से वे उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रोजगार में समूह 'डी' पद पर कार्यरत थे। समूह ''डी'' कर्मचारी के रूप में यह प्रास्थिति उन्हें अधिकारियों के द्वारा 30 दिसम्बर, 1999 को जारी एक ज्ञापन के माध्यम से भूतलक्षीय रूप से प्रदान किया गया था। उन्होंने सेवा निवृति की आयु 30 जून, 2008 में प्राप्त की। यद्यपि पेंशन के लिए उनके दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उन्होंने राज्य में समूह ''डी'' के पद पर न्यूनतम योग्यता सेवा के दस वर्ष पूरे नहीं किए थे। न्यायाधिकरण ने 6 जुलाई, 2011 को पारित एक आदेश के द्वारा योग्यता सेवा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जी0डी0एस0 की क्षमता में प्रदान की गई अपनी सेवा

के हिस्से की गणना करने के लिए आवेदक की याचिका को बरकरार रखा, न्यायाधिकरण के द्वारा ओ0ए0 नं0 310/2010 (श्री गौरंगा चौधरी साहू बनाम भारत संघ एवं अन्य) में पारित निर्णय पर विष्वास करते हुए गांडीबा बेहरा के केस में न्यायाधिकरण के द्वारा यह धारित और आदेशित किया गया किः ''यह उत्तरवादियों का मामला नहीं है कि इस न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश की समीक्षा की गयी है या किसी उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मुझे इस मामले में इस न्यायाधिकरण द्वारा गौरंगा चौधरी साहू (उपरोक्त) में पहले से लिये गये दृष्टिकोण से विचलित होने का कोई उचित कारण नहीं मिलता है। इसलिए उत्तरदाताओं को इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि वे आगे तक के ईडी रोजगार से सेवा की ऐसी कमी को न्यूनतम दस वर्ष की योग्यता सेवा के उद्देश्य के लिए गिने और तदनुसार पेंशन और पेंशन लाभों को मंजूरी दें और आवेदक को पेंशन और पेंशन लाभों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से और मुख्य रूप से इस आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर उनका भुगतान करें और असफल रहने पर आवेदक अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान होने तक बकाया पेंशन और पेंशन देय पर छः प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा और प्रतिवादी उस अधिकारी से ब्याज राशि वसूलने के लिए स्वतंत्र है जो ऐसे भुगतान में विलंब के लिए उत्तरदायी पाया जाएगा।

6. उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भारत संघ और डाक अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका में 3 जनवरी, 2014 को दिये गये फैसले में न्यायाधिकारण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया, जो मुख्य रूप से 2011 के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 11665 में 6 दिसंबर, 2011 को दिए गए न्यायालय के पहले के फैसले पर निर्भर था।

7. शेष अपीलों में तथ्यात्मक विवाद समान प्रकृति के हैं। इसमें शामिल कानून के बिंदु भी लगभग सामन हैं। इन कारणों से, हम इनमें से प्रत्येक मामले से व्यक्तिगत रूप से निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं। हालांकि हम व्यक्तिगत अपीलों की मुख्य तथ्यात्मक विशेषताओं को सारणीबद्ध रूप से नीचे दे रहे हैः

क्रम संख्या	केस संख्या	मूल आवेदक का सेवा विवरण
1	सिविल अपील नं0 8979/2014	08.08.1970—जी0डी0एस0 के रूप में शामिल हुए। (28 वर्षों तक कार्य किया) 31.12.1998—ग्रुप डी पद नियुक्ति। 30.06.2008—सेवानिवृत

		भारत संघ एवं अन्य बनाम गांडीबा बेहरा 1143 (अनिरूद्ध बोस, न्यायमूर्ति) अर्हक सेवा अवधि– नौ वर्ष, छः माह एवं एक दिन
2	एस0एल0पी0 (सी)नं0 979 / 2015	11.08.1967– जी0डी0एस0 के रूप में शामिल हुए (उन्नतीस वर्षों तक कार्य किया) 18.10.1996–ग्रुप डी पद पर नियुक्ति 31.07.2006– सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि नौ वर्ष, आठ महीना, सत्ताईस दिन
3	सिविल अपील नं0 9886 / 2014	14.08.1972–जी0डी0एस0 के रूप में शामिल(सत्ताईस वर्षों तक कार्य किए) 18.10.1999– पोस्टमैन के रूप में पदोन्नत (ग्रुप 'सी' पद) 28.02.2019–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि नौ वर्ष, पांच महीना, ग्यारह दिन
4	सिविल अपील नं0–8674 / 2015	14.09.1971–जी0डी0एस0 के रूप में शामिल (अठाइस वर्षों तक कार्य किए) 04.09.1999–ग्रुप डी पोस्ट पर नियुक्ति 30.11.2006–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि सात वर्ष, दो महीना, तेरह दिन
5	सी0सी0 नं0 20557–20558 / 2015 एस0एल0पी0 (सी).... / 2015	29.08.1981–ई0डी0डी0ए0 के रूप में शामिल(सोलह वर्षों तक कार्य किए) 24.12.1997–ग्रुप डी के पद पर नियुक्ति 31.05.2007–सेवानिवृत अर्हक सेवा अविध–नौ वर्ष, पांच महीना, तेइस दिन
6	सिविल अपील नं0 2825 / 2016	25.02.1972–जी0डी0एस0 के रूप में शामिल (एकतीस वर्षों तक कार्य किए) 08.03.2003–डाकिया के रूप में चुना गया अर्हक सेवा अवधि–नौ वर्ष, सात महीना, तेइस दिन
7	सिविल अपील नं0 5008 / 2016	21.02.1979–जी0डी0एस0 के रूप में शामिल (उन्नतीस वर्षों तक कार्य किए) 13.06.2001–पोस्टमैन के रूप में शामिल 31.10.2010–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि–नौ वर्ष, चार महीना, अठारह दिन
8	एस0एल0पी0 (सी) नं0	01.02.1967–जी0डी0एस0 के रूप में शामिल (उन्नतीस वर्षों तक कार्य किए)

	16767 / 2016	30.06.1992—डाक आदेशपाल के रूप में शामिल 31.01.2002—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि—नौ वर्ष, सात महीना
9.	सिविल अपील नं0—8379 / 2016	09.06.1967—ई0डी0एम0सी0 के रूप में शामिल (चौतीस वर्षों तक कार्य किए) 12.09.1997—डाकिया के रूप में कार्य ग्रहण किए 31.03.2007—सेवानिवृत अर्हक सेवा अविध—नौ वर्ष, छः महीना, बीस दिन
10	सिविल अपील नं0 1582—1581 / 2017	अतिरिक्त विभागीय धावक के रूप में शामिल (उन्नतीस वर्षों तक कार्य किए) 27.02.1992—ग्रुप डी के पद पर शामिल 31.12.2000—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि—आठ वर्ष, दस महीना, तीन दिन
11	सिविल अपील नं0 109—110 / 2017	22.06.1962—ई0डी0ए0 के रूप में शामिल (एकतीस वर्षों तक कार्य किए) 15.11.1993—ग्रुप डी पद पर शामिल 31.03.1997—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि—पांच वर्ष, चार महीना, पन्द्रह दिन
12	सिविल अपील नं0 10355 / 2016	पच्चीस वर्षों तक ई0डी0डी0ए0 के रूप में कार्य किए 09.11.2001—डाकिया के रूप में चयनित एवं नियुक्त 30.06.2011—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि— नौ वर्ष, सात महीना, इक्कीस वर्श
13	सिविल अपील नं0 10801 / 2016	जुलाई, 1972—ई0डी0एस0सी0 के रूप में शामिल (सताइस वर्षों तक कार्य किए) 15.09.1999—समूह डी पद पर शामिल 31.05.2009—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि—नौ वर्ष, आठ महीना, सोलह दिन
14	14(1) सिविल अपील नं0—9518—20 / 2017	14.07.1972—जी0डी0एस0 के रूप में शामिल (तीस वर्षों तक कार्य किए) 25.11.2002—समूह डी पद पर शामिल 30.06.2012—सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि—नौ वर्ष, सात महीना, छः दिन

	14(2)	05.11.1973–ई0डी0एम0सी0ए0 के रूप में शामिल (तेइस वर्षों तक कार्य किए) 17.04.1997–डाकिया के रूप में शामिल 31.12.2006–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि–नौ वर्ष, आठ महीना, पन्द्रह दिन
	14(3)	01.11.1971–ई0डी0एम0–1 हुए(अठाइस वर्षों तक कार्य किए) 03.11.1999–समूह डी पद पर शामिल 31.08.2009–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि–नौ वर्ष, आठ महीना, उन्नतीस दिन
15	एस0एल0पी0(सी) नं0 32881 / 2018	25.01.1971–ई0डी0एम0पी0 के रूप में शामिल (अठाइस वर्षों तक कार्य किए) 27.11.1999–समूह डी पद पर शामिल 31.08.2009–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि–नौ वर्ष, आठ महीना, उन्नीस दिन
16	एस0एल0पी0(सी) नं0 6544 / 2019	21.07.1972–ई0डी0डी0ए0 के रूप में शामिल (एकतीस वर्षों तक कार्य किए) 06.08.2003–समूह डी पद पर शामिल 30.06.2011–सेवानिवृत अर्हक सेवा अवधि–सात वर्ष, दस महीना, नौ दिन

8. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने गांडीबा बेहरा (उपरोक्त) के मामले में उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना की है, जिसमें मुख्य रूप से इस आधार पर न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की गई है कि जी0डी0एस0 के रूप में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है। जी0डी0एस0 की सेवा में काम के घंटे कम (तीन से पांच घंटे की बीच) होते हैं। ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस)के रूप में नियुक्त व्यक्ति किसी अन्य व्यवसाय को भी साथ–साथ करने का हकदार है। अपीलकर्ताओं की ओर से इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों की सेवाओं को नियमों के एक अलग सेट द्वारा विनियमित किया जाता है और न्यायालय को किसी विशेष के लिए एक पूरी तरह से नया सेवा नियम बनाने के लिए नियोक्ता की क्षमता में प्रषासन या कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश नहीं देना चाहिए।

9. डाकघरों के अधीक्षक और अन्य बनाम पी0के0 राजम्मा (1977) 3 एससीसी 94, के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि डाक विभागों से जुड़े अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ता सिविल पदों पर थे। यह निष्कर्ष अतिरिक्त

विभागीय अभिकर्ताओं के विरूद्ध पारित बर्खास्तगी आदेशों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद–311 की प्रयोज्यता से निपटने के दौरान दिया गया था। चेतराम बनाम जीत सिंह (2008)4 एससीसी 427, के मामले में इस न्यायालय ने इस प्रश्न की जांच की कि क्या जीडीएस एक सरकारी कर्मचारी है या नहीं। पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम 1994 के संदर्भ में नगर पंचायत का सदस्य बनने के लिए जीडीएस की पात्रता से संबंधित विवाद में यह मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। न्यायालय की यह राय थी कि ऐसे अभिकर्ता सिविल पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी थे। संविधान पीठ के द्वारा डी0एस0 नकारा एवं अन्य बनाम भारत संघ (1983)1 एससीसी 305 के केस में दिए गए निर्णय को उत्तरदाताओं की ओर से उनके इस रूख के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि पेंशनभोगियों के दो समूहों के बीच कोई भेदभाव नहीं हो सकता है।

10. समूह 'डी' कर्मचारियों के रूप में समाहित जीडीएस के एक समूह ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए इन अपीलों की विषय वस्तु के समान लाभ की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उस याचिका को रिट याचिका (सिविल)संख्या–17/2009 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उस रिट याचिका में शामिल नियम डाक विभाग, (मल्टीटास्किंग स्आफ) भर्ती नियम, 2010 था। जीडीएस को सिविल पदों के धारक के रूप में घोषित करने के लिए उक्त नियमों में विशिष्ट प्रावधान था लेकिन वे नियमित सिविल सेवा से बाहर थे। उक्त रिट याचिका का निपटारा 09 दिसम्बर, 2014 को पारित एक आदेश द्वारा किया गया, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में जाने की स्वतंत्रता दी गई। इसके बाद, न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के समक्ष तीन आवेदन दायर किए गए। इन्हें ओ0ए0 नं0 749/2015, 3540/2015 और ओ0ए0 नंबर 613/2015 के रूप में पंजीकृत किया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा व्यक्तिगत जीडीएस के आवेदनों को अनुमति दी गई थी। उस संबंध में निर्णय 17 नवम्बर, 2016 को दिया गया था (विनोद कुमार सक्सेना और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य) और न्यायाधिकरण ने निर्देश दियाः ''(ए) सभी ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, जिन्हें नियमित समूह के रूप में समाहित किया गया है 'डी' कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक के रूप में बिताई गई अवधि को पेंशन लाभ के उद्देष्य से गिना जाएगा।

(बी) उन सभी ग्रामीण डाक सेवकों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधानों के तहत पेंशन दी जाएगी, जो नियमित समूह 'डी' कर्मचारियों के रूप में अवशोषण के बिना ग्रामीण डाक सेवक के रूप में सेवानिवृत होते हैं, लेकिन इस उद्देष्य के लिए अवधि की गणना की जाएगी। पेंशन ग्रामीण

डाक सेवक के रूप में बिताई गई अवधि का 5/8वां हिस्सा होगी। नियम 6 में तद्नुसार संशोधन किया जाएगा।

(सी) जैसा कि उपर कहा गया है, ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और नियुक्ति) नियम, 2011 को नियम 6 को छोड़कर वैध माना जाता है।
(डी) नियमित कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन और भत्ते और अन्य लाभों के संबंध में नियमित कर्मचारियों के साथ समानता के लिए ग्रामीण डाक सेवकों का दावा खारिज कर दिया गया है।

11. हममें से एक (माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई) की अध्यक्षता में इस न्यायालय की एक पीठ ने 2015 की सिविल अपील संख्या–13675–13676/2015 (भारत संघ एवं अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य) जिसे 24 नवम्बर, 2015 को निर्णीत किया गया, में एक समान प्रश्न की जांच की है उस अपील के क्षेत्र का दायरा निर्णय के निम्नलिखित अंश से प्रकट होगाः–

'' प्रतिवादी संख्या–2 अर्थात एन0एस0 पुन्नुसामी ने वर्श 1968 से 1993 तक डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंट के रूप में कार्य किया। उन्हें 01.04.1993 को नियमित किया गया और 31.05.2002 को सेवानिवृत किया गया। दूसरे प्रतिवादी ने नौ साल और दो माह की सेवा पूरी कर ली थी लेकिन उसे कोई पेंशन नहीं दी गई थी इसलिए वे विद्वान न्यायाधिकरण में गए जिसने निर्देश दिया कि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के रूप में ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा का कुछ लाभ देने के लिए एक योजना बनाई जाए ताकि वे पेंशन के लिए अर्हक सेवा की अपेक्षित अवधि यानि दस साल अर्जित करने में सक्षम हो सकें। व्यथित होकर, भारत संघ ने एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का रूख किया, जिससे ये अपीलें उत्पन्न हुई हैं।

12. इस तरह का निर्देश न्यायाधिकरण द्वारा, अन्य बातों के साथ, वर्श 1991 में जारी डीओपीटी के एक परिपत्र के आधार पर जारी किया गया था। उक्त परिपत्र में प्रावधान किया गया था कि एक अतिरिक्त विभागीय एजेंट द्वारा उसकी अवधि की पचास प्रतिशत की सीमा तक प्रदान की गई सेवा थी। पेंशन की पात्रता के उद्देश्य से नियमित सेवा की अवधि में जोड़ा जाना। हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान, केन्द्र सरकार ने अपील में प्रतिवादी नंबर 2 को नियमित पेंशन देने का आदेश जारी किया था।

13. भारत संघ की अपील को स्वीकार करते हुए, उस मामले में इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया थाः ''अपीलकर्ता भारत संघ ने 26.10.2015 को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ कहा गया है कि अतिरिक्त विभागीय एजेंट जो डीओपी एंड टी परिपत्र, 1991

के अंतर्गत आते हैं, वे पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी हैं, जबकि दूसरा प्रतिवादी एक अंशकालिक आकस्मिक कर्मचारी है और वर्ष 1964 में बनाए गए और वर्ष 2001 और 2011 में संशोधित उसकी सेवा को नियंत्रित करने वाले नियमों के तहत, प्रतिवादी संख्या–2 जैसे कर्मचारियों से प्रत्येक दिन तीन से पांच घंटों के लिए सेवा प्रदान करना अपेक्षित था। अपनी नियुक्ति के समय उन्हें इस आशय का एक वचन देना अपेक्षित है कि उनके पास अपने परिवारों के भरण–पोषण के लिए आय का वैकल्पिक स्रोत है। भारतीय संघ के अनुसार, ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की आवश्यकता देश के दूर–दराज के गांवों के पते तक पहुंचने के लिए है, जहां नियमित डाकघर का गठन और रखरखाव एक व्यवहार्य प्रस्ताव नहीं है। उपरोक्त नियमों के प्रावधानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी पेंशन के हकदार नहीं है, लेकिन एक्सग्रेसिया ग्रेच्युटी और ऐसे भुगतानों के हकदार होंगे जो समय–समय पर सरकार द्वारा तय किए जा सकते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि डीओपी एंड टी सर्कुलर, 1991,जो उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई विद्वान न्यायाधिकरण के विवादित निर्देश का आधार बनता है, पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारियों से संबंधित है, जिस श्रेणी में दूसरा प्रतिवादी नहीं है और नियमों के प्रावधान जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करते हुए, हमारा विचार है कि विवादित निर्देश विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं होने चाहिए। मामला नीति से जुडा है और इसमें वित्तीय निहितार्थ भी शामिल हैं। इसके अलावा, हमारे सामने रखे गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, हम विवादित निर्देशों में हस्ताक्षेप करना और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को अनुमति देना उचित समझते हैं। हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि दूसरे प्रतिवादी को दी गई पेंशन इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी और उक्त प्रतिवादी कानून के प्रावधानों के अनुसार पेंशन का लाभ लेना जारी रखेगा।

14. उत्तरदाताओं ने 2011 के नियमों के खंड 6 का भी उल्लेख किया है जिसमें कहा गया हैः– ''सेवक किसी भी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। हालांकि, वे अनुग्रह राशि या सरकार द्वारा समय–समय पर तय किए गए किसी अन्य भुगतान के हकदार होंगे। हालांकि, इस विशेष नियम, जो इस श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा को गैर–पेंशन योग्य बनाता है, को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ ने 17 नवम्बर, 2016 को दिए गए एक निर्णय द्वारा असंवैधानियक करार दिया है। हमें सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया है। केन्द्र सरकार के विद्वान अधिवक्ता की ये अपीलें हैं कि न्यायाधिकरण के उक्त निर्णय को 2018 के डब्लू पी (सी)नंबर 832 के रूप में पंजीकृत एक रिट याचिका के माध्यम से भारत सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। हमें यह भी सूचित किया

गया है कि उक्त रिट याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया गया है। 2017 की विविध अपील संख्या 109–110 को जन्म देने वाले निर्णय में, 1964 के नियमों के एक समान प्रावधान, खंड 4 को भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अमान्य कर दिया गया है। हालांकि यह तथ्य कि जीडीएस की सेवा पेंशन योग्य नहीं थी, भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किए गए कारकों में से एक था। उपरोक्त मामले में यह मुख्य कारण नहीं था कि जीडीएस की याचिका को इस न्यायालय ने क्यों खारिज कर दिया। हमने उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत किया है जिसमें अपील की अनुमति देने के तर्क शामिल हैं। अपीलों के इस सेट के न्यायनिर्णयन के लिए, इस प्रकार वह कार्यवाही जिसमें जीडीएस की सेवा को गैर–पेंशन योग्य बनाने वाले नियम को निरस्त कर दिया गया है, अधिक प्रासंगिक नहीं है। इस फैसले में हम जिस विवाद से निपट रहे हैं, वह यह है कि क्या डाक विभाग के एक नियमित कर्मचारी द्वारा जीडीएस के रूप में सेवा करते समय प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना उसे पेंशन पाने का हकदार बनाने के लिए उसकी योग्यता सेवा निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाएगी।

15. उत्तरदाताओं की ओर से उनके तर्क के समर्थन में डीएस नकारा (उपरोक्त) के मामले पर भरोसा किया गया है कि पेंशनभोगियों के दो समूहों के बीच कोई कृत्रिम भेदभाव नहीं हो सकता है लेकिन डीएस नकारा (उपरोक्त) के मामले का तथ्यात्मक संदर्भ अलग है। उस मामले में जिस भेदभाव को चुनौती दी गई थी, वह सेवानिवृत सशस्त्र बल कर्मियों के दो सेटों से संधित था, जिन्हें उनकी सेवानिवृति की तरीखों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था और एक सेट में पेंशन की बेहतर शर्तें थी। पीके राजम्मा (उपरोक्त) और चेत राम (उपरोक्त) के मामलों में निर्णय इस प्रस्ताव के लिए हैं कि उत्तरदाताओं ने जीडीएस के रूप में सिविल पदों पर थे और सरकारी कर्मचारी थे। लेकिन फिर से इन प्राधिकारियों के अनुपात को नियमित रोजगार में उनकी सेवाओं के साथ एक पूरी तरह से अलग सेवा नियम द्वारा निर्देशित पदों पर जीडीएस द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को संयोजित करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। उत्तरदाताओं की ओर से जिस अन्य प्राधिकारी पर भरोसा किया गया है वह हबीब खान बनाव उत्तराखंड राज्य और अन्य (2018) (1) एसएलआर 724 (एससी) के मामले में दिनांक 23 अगस्त, 2017 को दिया गया इस न्यायालय का निर्णय है। यह मामला उत्तरखंड राज्य के एक कार्य प्रभारित कर्मचारी से जुड़े ऐसे ही विवाद से उत्पन्न हुआ था, जो चाहता था कि पेंशन के अनुदान के सवाल पर नियमित पद पर अर्हक सेवा की गणना के लिए उस क्षमता में उसकी सेवा को गिना जाए। यह निर्णय भी दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया था, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने से पहले, सदस्य थे। उपरोक्त निर्णय पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम नकारा सिंह और

अन्य (2010) 4 एससीसी 317 के मामले में दिए गए इस न्यायालय के पहले के फैसले का पालन करता है। पश्चातवर्ती मामला पंजाब राज्य के सिंचाई और बिजली विभाग में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों के समान दावों से उत्पन्न हुआ। पंजाब सिविल सेवा नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों में राज्य सरकार के तहत बिना किसी रूकावट के अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अनुमति दी गई है, जिसके बाद उसी या किसी अन्य पद पर पुष्टि को पूर्ण रूप से अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा, लेकिन कार्य प्रभारित प्रतिष्ठान में सेवा की अवधि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उपरोक्त नियम को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने रद्द कर दिया था। हालांकि, नकारा सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय दो परिपत्रों पर आधारित था, जिसमें पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार में कार्य प्रभारित कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि की गणना करने की अनुमति दी गई थी। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड का कर्मचारी। इन अपीलों में प्रतिवादियों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कार्यभारित कर्मचारी, कर्मचारियों की उक्त श्रेणी, यानी वर्कचार्ज कर्मचारी विशिष्ट कार्य के लिए लगे हुए हैं और उनके वेतन और भत्ते ऐसे काम के लिए प्रभार्य हैं। लेकिन जीडीएस के रूप में उत्तरदाताओं के काम का दायरा अंशकालिक प्रकृति का था। उन्हें स्वयं को अन्य व्यवसायों में संलग्न करने की स्वतंत्रता थी, हालांकि जिस कार्य में वे शामिल थे उसमें स्थायित्व का तथ्य था। तथ्य यह है कि वे जीडीएस के रूप में लगे हुए थे, जो सिविल पद का गठन करते थे, इस निहितार्थ से उनकी पूर्णकालिक सेवा को जीडीएस की क्षमता में प्रदान की गई उनकी सेवा का विस्तार नहीं माना जा सकता है। बाद की सेवा विभन्न रोजगार विशेषताओं वाले विभन्न सेवा नियमों द्वारा निर्देशित थी। चयन प्रक्रिया आयोजित करने में अधिकारियों की ओर से देरी के कारण किसी कर्मचारी का नियमित पद पर चयन भी पहले नहीं किया जा सकता है। हम उन निर्णयों में इस संबंध में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं जो 2016 की सिविल अपील संख्या 5008, 2016 की एसएलपी (सी)संख्या 16767/2016 की सिविल अपील संख्या 8379 और सिविल अपील में अपील का विषय है। 2016 की संख्या 10801। किसी विशिष्ट पद पर किसी कर्मचारी का सेवा कार्यकाल किसी विशिष्ट कानूनी प्रावधान के अभाव में उस तरीके से कृत्रिम रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता है।

16. भारत संघ एवं अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में, उस क्षमता में सेवा की गणना के लिए जीडीएस द्वारा की गई याचिका के समान ही एक याचिका को विशेष रूप में खारिज कर दिया गया था। अपीलों के इस सेट में उत्तरदाताओं की योग्यता सेवा आवश्यकता में अंतर को भरने के लिए जीडीएस के रूप में प्रदान की गई सेवा अवधि की गणना निर्दिष्ट करने वाला कोई विशिष्ट नियम या यहां तक कि प्रशानसनिक परिपत्र नहीं है। एकमात्र परिपत्र जिस पर उत्तरदाताओं ने जोर दिया वह 1991 का परिपत्र

था जिस पर भारत संघ और अन्य बनाम निबंधक व अन्य (उपरोक्त) के मामले में विचार किया गया था। चूंकि जीडीएस का पद पूर्णकालिक रोजगार का गठन नहीं करता है, इसलिए उक्त परिपत्र का लाभ उत्तरदाताओं को सहायता नहीं दे सकता है। इस प्रकार, समान रूप से रखे गए कर्मचारियों पर स्पष्ट निष्कर्ष होने के कारण, हमें नहीं लगता कि हम उत्तरदाताओं की याचिका के समर्थन में हसीब खान (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले के आधार को लागू कर सकते हैं। डब्ल्यू.पी. संख्या 81699/2011, भारत संघ और अन्य बनाम दत्तप्पा के मामले में 17 जून, 2011 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का एक असूचित निर्णय दिया गया था, का उत्तरदाताओं की ओर से भी हवाला दिया गया है। यह निर्णय पेंशन के संबंध में अर्हक सेवा के लिए अतिरिक्त–विभागीय एजेंट के रूप में सेवा की अवधि को गिनने के पक्ष में गया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच इस आधार पर आगे बढ़ी कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, रोजगार निरंतर प्रकृति का था और यह ऐसा नहीं था कि यह एक सेवा से दूसरी सेवा में था। लेकिन, भारत संघ एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया गया है।

17. यह भी उत्तरदाताओं का मामला है कि 1972 के नियमों के खंड 49(3) के तहत, यदि उन्होंने नियमित रोजगार में नौ साल और तीन महीने से अधिक सेवा की है, तो वे योग्यता के उद्देश्य से अतिरिक्त अवधि की गणना करने के हकदार होंगे। उक्त नियम 49(3) निर्दिष्ट करता है:

> ''योग्य सेवा की अवधि की गणना में, तीन महीने और उससे अधिक के बराबर एक वर्ष के अंश को पूरा किया गया आधा वर्ष माना जाएगा और अर्हक सेवा के रूप में गिना जाएगा।''

तर्क दिया गया कि यदि एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी कर्मचारी ने छह महीने से अधिक सेवा की है, तो कुल रोजगार अवधि की गणना दो चरणों में एक आधे वर्ष की अवधि की दोगुनी की जानी चाहिए और एक वर्ष को सेवा में जोड़ा जाना चाहिए। परन्तु हमारे विचार से उक्त नियम को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर ऐसी कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती। नियम एक वर्ष के अंश में तीन महीने से अधिक की सेवा के मामले में एकमुश्त लाभ पर विचार करता है।

18. 1972 के नियमों का नियम 88 संबंधित मंत्रालय या विभाग को किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई को रोकने के लिए किसी भी नियम के संचालन में ढील देने का अधिकार देता है। नियम 88 में सन्निहित यह प्रावधान प्रदान करता है:

> "88. आराम करने की शक्ति।

जहॉ सरकार का कोई मंत्रालय या विभाग इस बात से संतुष्ट है कि इन नियमों के कार्यान्वयन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है, तो वह मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में कारण दर्ज करके आदेश द्वारा छूट दे सकता है या उस नियम की आवश्यकताओं को उस हद तक और ऐसे अपवादों और शर्तों के अधीन शिथिल कर सकता है, जिन्हें वह मामले से उचित और न्यायसंगत तरीके से निपटने के लिए आवश्यक समझे बशर्ते कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सहमति के बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।" हालांकि, उक्त नियमों के तहत शक्ति का प्रयोग कार्यपालिका के निर्णय लेने के क्षेत्र में आता है। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि यदि अर्हक सेवा में मामूली कमी के प्रत्येक मामले में ढील देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो यह एक अंतहीन अभ्यास होगा।

19. अर्हक सेवा आवश्यकता से संबंधित पूर्वोक्त नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय में उत्तरदाताओं द्वारा जीडीएस या अन्य अतिरिक्त विभागीय अभिकर्ताओं के रूप में प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन देने के प्रश्न पर डाक विभाग के तहत नियमित पदों पर उनकी अर्हक सेवाओं की गणना के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है। लेकिन हमने यह भी पाया है कि कई उत्तरदाता अपने नियमित सेवा कार्यकाल में मामूली कमी के कारण पेंशन से वंचित हैं। पेंशन प्रदान करने के लिए इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। लेकिन हम अपनी शक्ति या अधिकार क्षेत्र को किसी भी कानूनी सिद्धांत से नहीं जोड़ सकते हैं जो हमें उनके सेवा कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए कार्य की अवधि को जीडीएस या इसके विभिन्न के रूपों में आयात करके कमी को पूरा करने की अनुमति दे सके। साथ ही, हम यह भी पाते हैं कि भारत संघ एवं अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य (उपरोक्त), हालांकि उसमें पदधारी (प्रतिवादी नंबर 2 होने के नाते) ने नौ साल और दो महीने की सेवा पूरी कर ली थी, भारत संघ ने उसे नियमित पेंशन देने के आदेश पारित किए थे। इस न्यायालय ने 24 नवंबर 2015 को पारित आदेश में उनकी पेंशन की रक्षा की थी, हालांकि भारत संघ के अपील की अनुमति दी गई थी।

20. जिन कारणों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हमारी राय है कि अपील के तहत निर्णयों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। कानून के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर जीडीएस की क्षमता में उत्तरदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवा की किसी भी अवधि को पेंशन अनुदान के संबंध में अर्हक सेवा की अवधि को पूरा करने के उद्देश्य से डाक विभाग में उनके नियमित कार्यकाल में जोड़ा जा सके।

21. हमारी यह भी राय है कि अधिकारियों को 1972 के नियमों के तहत अर्हक सेवा की अनिवार्य आवश्यकता में छूट देने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने मामलों पर विचार करना चाहिए यदि इनमें से किसी भी मामले में नियम 88 में निहित शर्तें पूरी होती हैं। हम अपीलकर्ताओं के इस रूख को स्वीकार नहीं करते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वह अभ्यास लंबा खिंच जाएगा, नियम 88 का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। उक्त नियम संख्या विशिष्ट नहीं है, और यदि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को अनुचित कठिनाई होती है, तो उनके सभी मामलों पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी भी उत्तरदाता के मामले में पेंशन आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है, तो उसे परेशान नहीं किया जाएगा, जैसा कि भारत संघ और अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य (उपरोक्त) के मामलें में निर्देशित किया गया है। तदनुसार, हम इन अपीलों को अनुमति देते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपील के तहत निर्णयों को निरस्त करते हैं:

(i) यदि केंद्र सरकार या डाक विभाग ने पहले ही किसी उत्तरदाता को पेंशन के लिए कोई आदेश जारी कर दिया है, तो ऐसी पेंशन में गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। इस निर्देश को जारी करने में, हम उस प्रक्रम का पालन कर रहे हैं जिसे इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य बनाम निबंधक एवं अन्य (उपरोक्त) के मामले में अपनाने का निर्देश दिया गया था।

(ii) अन्य उत्तरदाताओं के संबंध में, जिन्हें पेंशन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, संबंधित मंत्रालय इस पर विचार कर सकता है कि क्या उनके मामलों में 1972 के नियमों के नियम 88 के अनुसार न्यूनतम योग्यता सेवा नियम में ढील दी जा सकती है।

22. इन अपीलों में पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, समाप्त हो जायेंगे। सभी संबंधित आवेदनों का निपटारा कर दिया जाएगा।

23. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील स्वीकृत किया गया

निधि जैन

संगम सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
पटना